सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 341/21 **दिनांक- 20 जुलाई 2021**

<u>प्रेस-विज्ञप्ति</u>

साइबर क्राइम थाना

दिल्ली में कालसेन्टर बनाकर लोगो के क्रेडिट कार्ड का डिटेल प्राप्त कर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने के नाम पर धोखे से ओ0टी0पी0 प्राप्त कर साइबर ठगी करने वाले अन्त्तराज्यीय गैंग के सदस्य दिल्ली से गिरफ्तार

दिनांक 21.11.2020 को वादी श्री विवेक अस्थाना निवासी मडया कोतवाली आजमगढ़ ने साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ में सूचना दिया कि साइबर ठगो ने मेरे मो0नं0 पर कस्टमर केयर बनकर काल करके मेरे आईसीआईसीअई बैंक एं0 इण्डसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड की डिटेल बताकर मुझसे धोखे से ओ0टी0पी प्राप्त कर कुल 1,35,100 रु0 निकाल लिए है। इस सूचना के आधार पर साइबर क्राइम थाना पर मु0अ0सं0 10/2020 धारा 419 , 420 भादवि व 66 सी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

उक्त अपराध के सफल अनवारण हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह के निर्देशानुसार तकनीकी संसाधनो का प्रयोग करते हुए विवेचना के मध्य प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त अभियोग की विवेचना से अभियुक्त 1. अभिषेक कुमार पुत्र राकेष कुमार निवासी वी-16 पुराना नांगल , थाना दिल्ली कैण्ट जिला दक्षिणी दिल्ली 2. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामधन निवासी वी-60 पुराना नांगल , थाना दिल्ली कैण्ट जिला दक्षिणी दिल्ली 3. गीताराम पुत्र मुन्ना लाल निवासी प्लाट 200 श्रीराम चैक थाना मोहन गार्डन जिला द्वारका दिल्ली का नाम प्रकाश में आया जिनके द्वारा मिलकर साइबर ठगी की गयी।

प्रकाश में आये अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु *श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय* से दिल्ली प्रान्त जाने हेतु परमीशन प्राप्त कर साइबर क्राइम थाना टीम द्वारा दिनांक 19.07.2021 को समय 20.00 बजे अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र राकेष कुमार निवासी वी-16 पुराना नांगल, थाना दिल्ली कैण्ट जिला दक्षिणी दिल्ली को उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कालिंग मोबाईल को बरामद किया गया । बाद गिरफ्तारी मा0 न्यायालय आजमगढ़ के समक्ष पे श कर जेल भेजा गया।

अपराध का तरिका

अभियुक्त अभिषेक कुमार से गहनता से पूछतांछ किया गया तो बताया कि मै और मेरा दोस्त मयंक जो सुभाष नगर दिल्ली का रहने वाला हैं 07 माह पूर्व पष्चिम बिहार रेडिसन होटल के पीछे भैरो

एनक्लेव 1 फ्लोर पर काल सेन्टर चलाते थे जिसमें अलग-अलग जगह के 15-20 लोग कार्य करते थे । मेरा साथी मयंक जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल (नाम , पता, मो0नं0, क्रेडिट कार्ड नं0, सीवीवी नं0) थर्ड पार्टी से प्राप्त करके क्रेडिट कार्ड होल्डर को कस्टमर केयर बनकर काल करते थे और उनसे उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने के नाम पर धोखे से ओ0टी0पी0 प्राप्त कर पेमेन्ट गेटवे (nobroker.com, housing.com) के माध्यम से विभिन्न बैंक खातो में पैसा जमा कराकर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। लोगो को जानकारी हो जाने की वजह से वर्तमान समय में कालसेन्टर बन्द हो गया हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभिषेक कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी वी-16 पुराना नांगल , थाना दिल्ली कैण्ट जिला दक्षिणी दिल्ली

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0सं0 10/2020 धारा 419, 420 भादवि व 66 सी आई0टी0 एक्ट साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. निरीक्षक राजेश यादव, प्रभारी साइबर थाना आजमगढ
2. का0 मनीष सिंह, साइबर थाना आजमगढ़
3. का0 एजाज खा साइबर थाना आजमगढ़
4. का0 महिपाल यादव, साइबर थाना आजमगढ़
5. का0 संजय कुमार, साइबर थाना आजमगढ़